राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6]   ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सोलहवां दिवस   [संख्या : 3

गुरुवार, 29 मार्च, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस ली जाएं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : यह बजट पेश किया जा रहा है और यह पहले ही आ गया। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : बजट की गोपनीयता भंग हुई है और ये बजट की कापियां हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी) : यह तहलका की खूब आ गयी कापी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह राजस्थान का तहलका है।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : यह तहलका की कापी है क्या ? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : यह राजस्थान सरकार का तहलका है, यह राजस्थान सरकार का तहलका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। बैठ जाओ, रामस्वरूपजी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, यह जो पढ़ने जा रहे हैं, यह राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। गम्भीरता से लें आप इसको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह रामू, यह गम्भीर मामला आपने बता दिया। अब आप बैठिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अब आप विराजो।

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2001-2002 का उपस्थापन। श्री प्रद्युम्न सिंह, वित्त मंत्री।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय,

(श्री यशवन्त सिंह)

इस बजट का महत्व नहीं है, यह इस बजट की कापी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : राजस्थान की जनता का बजट है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन का पूरा सम्मान करते हुए आसन के हर आदेश की पालना करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। आज जिस वैधानिक प्रक्रिया को आप पूरी करा रहे हैं वह राजस्थान के लिए, हमारे राज्य के लिए आवश्यक है। वह प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी हो, इसमें हम किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। हम पूरा सम्मान करना चाहते हैं। हम इस प्रकार का वातावरण भी यहां नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता जिस बजट को सुनने के लिए अभी टी. वी. पर बैठी होगी कि राजस्थान में अगले वर्ष क्या होने वाला है, उसका पूरा सम्मान करते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, आपसे यह निवेदन तो हम कर सकते हैं। हमने लगातार पिछले तीन दिनों से इस बात को आपके सामने और राजस्थान की सरकार के सामने रखने का प्रयास किया। हमने बहुत पहले कहा था कि इस समय जैसी स्थिति राजस्थान की बनी हुई है, राजस्थान के किसानों की, आम जनता की, व्यापारी की पिछले तीन साल के अकाल के कारण से, उत्पादन नहीं होने के कारण से ग्यारह हजार करोड़ रुपये की फसलें नष्ट हो जाने के कारण हरेक की परचेजिंग पावर समाप्त हो गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, विनम्र प्रार्थना मैं यह करना चाहता हूं कि... (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप : माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तीन–तीन बार किसानों पर भार डीजल पर किया है और +++ जो सुरक्षा के अन्दर आम जनता के साथ किया है, +++ (व्यवधान)...

श्री निर्भय लाल (रूपवास) : किया है, भ्रष्टाचार फैलाया है। आप क्या बोल रहे हो ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तहलका के ऊपर किया है।

श्री रामस्वरूप : तहलका करके जो भ्रष्टाचार आपने फैला रखा है...

श्री निर्भय लाल : तहलका में दलाली खाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जाएं। केन्द्र की सरकार को बर्खास्त किया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ आगे बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भ्रष्टाचार फैला रखा है।

एक माननीय सदस्य : आज जो +++ उनको...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामस्वरूप : यह बड़े शर्म की बात है आपके लिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अकाल के दौरान थोड़ा–बहुत पानी भी नहीं पहुंचा है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, सिंचाई नहीं हो सकी है। यह सरकार आई है। (व्यवधान) आखिर हम किससे कहें ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सदन में भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : +++ (व्यवधान) +++ आप किस प्रदेश की बात कर रहे हैं ? +++

श्री रामस्वरूप : +++ (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप किस काम की बात कर रहे हैं ? +++ (व्यवधान) आप किसकी बात कर रहे हैं ? आपको प्रान्त का दर्द नहीं, +++ (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह भार आपने किसलिए लादा ? यह भार लाद कर किसानों के साथ अन्याय किया है। इसके बाद हम यहां पर नहीं रहना चाहते। जो बिजली की दरों में वृद्धि की है हम इसके खिलाफ हैं। हम इसके खिलाफ बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामस्वरूप : सेना खून बहाती है... (व्यवधान)... जाओ, पधारो। लो, ले जाओ। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सदन में भारी शोरगुल)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : +++

एक माननीय सदस्य : +++. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। रामस्वरूप जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ यह भला करेंगे क्या ? +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से न तो कार्यवाही में व्यवधान करना चाहता हूं और जैसा आपको आपके कक्ष में निवेदन किया था, हम बजट पर संवैधानिक व्यवधान नहीं पैदा करना चाहते हैं...(व्यवधान)

आय-व्ययक वर्ष 2001-2002 एवं संशोधित आय-व्ययक वर्ष 2000-2001 का उपस्थापन

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2000–2001 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2001–2002 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बात सुनिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से हमारी बात को नहीं दबाया जा सकता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, संख्या की ताकत के बल पर...(व्यवधान)

(भारी व्यवधान व शोरगुल)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 2. मुझे प्रसन्नता है कि हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतीक हमारी विधान सभा के इस नये भवन में सदन के समक्ष पहले बजट को प्रस्तुत करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ...(व्यवधान) इस अवसर पर हमारे प्रदेश के नागरिकों के सुखद भविष्य की कामना करते हुए मैं आशा करता हूं कि हम सब जन–प्रतिनिधिगण इस सदन में बैठकर राजस्थान की जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और प्रदेश के बहुमुखी विकास को नये आयाम देने में सफल होंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : काहे का हल्ला मचाने के लिए आये हैं ? (व्यवधान) किसानों के ऊपर बिजली का भार बढ़ा दिया। एक मिनट आप हमारी बात तो सुन लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जब यह बात सुन सकते थे तो यह क्या हो रहा है यहां पर ? सुनो आप। कुछ नहीं हो सकता है, अध्यक्ष महोदय। बैठिये। (व्यवधान) कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो आप सुने कि किसान रो रहे हैं। कल ओले पड़ गये, किसान की फसल बर्बाद हो रही है और यह सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : किसानों पर भार लाद दिया। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ऐसा अन्याय सहन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 3. आर्थिक दृष्टि से राज्य के लिए वर्ष 2000–2001 चुनौतीपूर्ण रहा है। राज्य के अधिकांश भाग में लगातार तीसरे वर्ष बहुत कम वर्षा होने से सूखे की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। 31 जिलों के 30 हजार से अधिक गांवों में फसल नष्ट हो गयी है तथा पानी और चारे का संकट

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भी उत्पन्न हो गया है। इस पृष्ठभूमि में कृषि क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में 24 प्रतिशत की गिरावट सम्भावित है। परन्तु कृषि क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में उत्पाद में वस्तुतः वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप सूखे के बावजूद इस अवधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट लगभग नगण्य है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : अध्यक्ष महोदय, संख्या की ताकत के आधार पर यह यहां पर चाहे जो भी बिल पास करेंगे लेकिन बात तो हमारी सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ऐसा अन्याय सहन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, संख्या की ताकत के आधार पर यह कुछ भी बिल पास कर सकते हैं, हमारी बात सुनिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, संख्या के आधार पर निर्दलीय विधायकों के साथ ऐसा अत्याचार सहन नहीं होगा। क्या +++ कर रहे हैं आप। ऐसे नहीं चलेगी आपकी। ऐसा अन्याय नहीं चलेगा। यह फंसाना बी. जे. पी. वालों को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे भाग गये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बजट में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता। यह आयोग ने आज न्यूनतम दरों में वृद्धि की है। वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि मैं कोई अनुदान नहीं दूंगा जबकि ऊर्जा मंत्रीजी ने कहा है कि अनुदान दूंगा। तो स्थिति स्पष्ट है कि इस बजट के अन्दर बिजली के विषय में कोई प्रावधान नहीं होगा। किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, बात तो सुनिये आप। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुनिये आप। इनको जो कुछ करना है वह करेंगे, हमारी बात तो सुन लीजिये। बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 4. इस समय राज्य की 3 करोड़ से अधिक आबादी और 4 करोड़ से अधिक पशुधन सूखे की चपेट में है। ऐसी गम्भीर संकट की घड़ी में हमें केन्द्र सरकार से समुचित मदद की उम्मीद थी। परन्तु केन्द्र सरकार ने अब तक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से मात्र 85 करोड़ रुपये की अल्प सहायता राशि उपलब्ध कराई है और कुछ दिन पहले प्रधान मंत्रीजी ने अपने राहत कोष से 50 करोड़ रुपये की सहायता और देने की घोषणा की है। यद्यपि केन्द्र सरकार ने राज्य को अकाल राहत कार्यों हेतु निःशुल्क अनाज अवश्य उपलब्ध कराया है परन्तु पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने तथा पानी और चारे की अपेक्षित

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को जिस सहायता की वास्तव में आवश्यकता है, उसकी तुलना में दी गयी सहायता बहुत कम है।

मोहम्मद माहिर आजाद : दो मिनट आज आप बात सुनिये। ओले पड़ गये, किसान बर्बाद हो रहा है। बिजली की दरें बढ़ा दीं। आज न्यूनतम दर में वृद्धि कर दी आपने। दो मिनट बात नहीं सुन सकते ? माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट बात सुन लें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आप बजट भाषण दे दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिये। हमारी बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप हमारी बात तो सुनेंगे। प्लीज वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्लीज बैठिये।

(श्री प्रद्युम्न सिंह, वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण पढ़ने के दौरान भारी व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ... फिर हम शोर नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : क्या हमारी दो मिनट नहीं सुन सकते ? राजस्थान की जनता की...(भारी व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 5. केन्द्र से अपेक्षित सहायता नहीं मिलने के बावजूद हमने अपना हौसला बनाये रखा। दोनों वर्षों के अकाल का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया और सीमित साधनों के उपरान्त भी राहत कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का बजट है, यह उसको आगे जाने देना नहीं चाहते। और यह +++ उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : संख्या शक्ति के आधार पर आप कुछ भी करा सकते हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहां सम्वत् 2055 के अकाल में लगभग 435 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी थी, वहां सम्वत् 2056 के अकाल में 565 करोड़ 95 लाख रुपये व्यय किये गये। अकाल राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष नाबार्ड से ऋण भी लिया गया, जिससे अकालग्रस्त इलाकों में आधारभूत सुविधाओं जैसे स्कूल भवनों एवं सड़कों के निर्माण के एवं जल संग्रहण के कार्य करवाये गये हैं।

6. हम जानते हैं कि पूर्व वर्षों की तुलना में वर्तमान अकाल में परिस्थितियां और अधिक कठिन है। इस कारण वर्तमान परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए और भी व्यापक व्यवस्था की गयी है। यही वजह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है कि अभी कुछ दिनों पूर्व जब प्रधानमंत्रीजी राजस्थान पधारे थे, तब उन्होंने भी हमारी इन व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। मैं इस सदन के माध्यम से हमारी प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भीषण अकाल की इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम कृत संकल्प हैं, और मुख्य मंत्रीजी की अकाल को विकास से जोड़ने की परिकल्पना को साकार करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रद्युम्न सिंहजी, आपका भाषण बहुत अच्छी तरह चलेगा, आप हमारी बात एक मिनट सुन लीजिये। हम आपके बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट सुन लीजिये उसके बाद आप बजट भाषण देते रहें। एक मिनट सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान मत डालिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : व्यवधान नहीं डालेंगे, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विधान सभा के सीनियर मैम्बर हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक बात सुन लें। हमारा भी प्रतीकात्मक...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बजट कांस्टीट्यूशनल ओब्लीगेशन है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक मिनट अपनी बात कह दें उसके बाद बजट भाषण जारी रहेगा। हम उसमें विरोध नहीं करेंगे। एक मिनट हमारी बात सुन लें। (व्यवधान) एक मिनट हमें भी दे दें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 7. केन्द्र सरकार द्वारा अगले वर्ष के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है उससे अकाल प्रभावित राज्यों को निराशा ही हुई है। केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढांचे में जिस बुनियादी परिवर्तन की घोषणा की है, उसके परिणाम भी अन्ततः किसानों को भुगतने पड़ेंगे। किसानों से खाद्यान्नों की सीधी खरीद के पीछे केन्द्र सरकार के मुख्यतः दो उद्देश्य रहे हैं–खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये निर्धन परिवारों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। परन्तु आर्थिक सुधारों के वर्तमान दौर में केन्द्र सरकार पर खाद्यान्न सब्सिडी को कम करने के लिए बहुत दबाव है। दूसरी ओर राज्य सरकारों के लिए यह कठिन होगा कि वे किसानों से खाद्यान्न की खरीद केवल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बी. पी. एल. परिवारों को खाद्यान्न वितरण करने के लिए आवश्यक मात्रा तक ही सीमित रखें। ऐसी व्यवस्था में तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। केन्द्र सरकार को इस परिवर्तित व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए।

8. माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य के विकास कार्यों के लिए अल्प बचत के पेटे मिलने वाला ऋण एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अल्प बचत की शुद्ध संग्रहित राशि का केवल 80 प्रतिशत भाग ही राज्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा अल्प बचत की ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत की कमी किये जाने के कारण अल्प बचत संग्रहण में कमी होने की सम्भावना है। इस सम्भावित कमी की भरपाई हेतु केन्द्र सरकार को अल्प बचत की सम्पूर्ण शुद्ध संग्रहित राशि राज्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : संख्या बल के आधार पर आप सुनना नहीं चाहते। हम विरोध स्वरूप बहिष्कार करते हैं।

(मोहम्मद माहिर आजाद द्वारा बहिर्गमन)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह द्वारा बहिर्गमन)

(श्री यशवन्त सिंह (रामू) द्वारा बहिर्गमन)

(श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा बहिर्गमन)

(श्री अमराराम (धोद) द्वारा बहिर्गमन)

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा द्वारा बहिर्गमन)

(श्री अरूण सिंह द्वारा बहिर्गमन)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 9. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2000 से 2005 की अवधि के लिए निर्धारित विषयों पर की गयी सिफारिशों को केन्द्र सरकार ने जुलाई, 2000 में स्वीकार कर लिया है। गत वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह कहा था कि आयोग की अन्तिम रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार के निर्णय का राज्य के संसाधनों पर सम्भावित प्रभाव से मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराऊंगा।

10. संविधान के 80वें संशोधन के सन्दर्भ में आयोग ने शुद्ध केन्द्रीय कर राजस्व में से 29.5 प्रतिशत भाग राज्यों को हस्तान्तरित किये जाने की सिफारिश की है। दसवें वित्त आयोग ने राज्यों को केन्द्र के सकल कर राजस्व का 29 प्रतिशत भाग देने की सिफारिश की थी। परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वस्तुतः कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। आयोग ने अपनी सिफारिशों में हमारे राज्य के विशाल आकार व छितरी हुई आबादी के कारण सेवाओं की अधिक लागत व आधारभूत सुविधाओं के अभाव को समुचित महत्त्व नहीं दिया है।

11. ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुसार

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

राजस्थान को वर्ष 2000 से 2005 की अवधि के केन्द्रीय करों में 20 हजार 596 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलना अनुमानित किया गया है। किन्तु वास्तविक प्राप्ति इससे कम होगी जैसा कि केन्द्र सरकार के चालू वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों व आगामी वर्ष के बजट अनुमानों से स्पष्ट है। उल्लेखनीय है कि दसवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि में भी हमें आयोग के अनुमानों की तुलना में कम राशि प्राप्त हुई थी।

12. आयोग के सम्मुख विचारणीय बिन्दुओं में राज्यों के योजना एवं गैर–आयोजना दोनों के राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु अनुशंसाएं करना सम्मिलित था। परन्तु आयोग ने केवल गैर–आयोजना राजस्व घाटा अनुदान देने की ही सिफारिश की है। इस मद में भी आयोग का आकलन हमारे अनुमानों से बहुत कम है। आयोग ने राज्य के लिए केवल वर्ष 2000–2001 तथा वर्ष 2001–2002 में क्रमशः 955 करोड़ 26 लाख रुपये एवं 289 करोड़ 42 लाख रुपये का गैर–आयोजना राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है। इस अनुदान राशि में से भी 15 प्रतिशत राशि का भुगतान कतिपय राजकोषीय सुधारों की शर्तों से जोड़ दिया गया है।

13. आयोग की सिफारिश के अनुसार राजस्थान को पांच वर्ष की अवधि में आपदा राहत कोष में 857 करोड़ 85 लाख रुपये केन्द्रीय अंशदान के पेटे प्राप्त होंगे। दसवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि में सभी राज्यों को इस मद में केन्द्र सरकार द्वारा देय अंशदान का 14.95 प्रतिशत भाग राजस्थान को प्राप्त हुआ था, जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत हमें केवल 10.39 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होगा। इस कारण राज्य को 376 करोड़ रुपये का अंशदान कम प्राप्त होगा, जबकि 44 रुपये की न्यूनतम मजदूरी को 60 रुपये करने व महंगाई के कारण अकाल राहत कार्यों पर वास्तव में अधिक व्यय होगा।

14. आयोग की सिफारिशों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में विभिन्न सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन हेतु 239 करोड़ 85 लाख रुपये, और कच्ची बस्तियों के सुधार एवं महिला कल्याण हेतु 60 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। इसी अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को 490 करोड़ 95 लाख रुपये तथा नगरपालिकाओं को 99 करोड़ 42 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त होगा।

राज्य वित्त आयोग

15. संविधान के अनुच्छेद 243–I और 243–Y तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य में द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग ने वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 के लिए अंतरिम सिफारिशें प्रस्तुत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों के अन्तर्गत वर्ष 2000–2001 में पंचायती राज संस्थाओं को 81 करोड़ 24 लाख रुपये की अनुदान राशि तथा नगरपालिकाओं को 23 करोड़ 90 लाख रुपये की अनुदान राशि देय होगी, जो इन संस्थाओं को देय सामान्य प्रयोजनार्थ अनुदान राशि के अतिरिक्त होगी। वर्ष 2001–2002 के लिए आयोग ने फिलहाल पंचायती राज संस्थाओं के लिए 93 करोड़ 87 लाख रुपये तथा नगरपालिकाओं के लिए 27 करोड़ 60 लाख रुपयों के अनुदान की सिफारिश की है। राज्य वित्त आयोग अपना अन्तिम प्रतिवेदन 31 अगस्त, 2001 तक देगा। मुझे आशा है कि पंचायती राज संस्थाएं तथा नगरपालिकाएं इस राशि से नागरिक सुविधाओं में अपेक्षित सुधार कर सकेंगी।

योजनागत विकास

16. वर्ष 2001–2002 राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा। इस योजना का आकार 27 हजार 650 करोड़ रुपये रखा गया था जो सम्भावित संसाधनों की तुलना में अत्यन्त महत्वाकांक्षी था। गत चार वर्षों में हुए योजनागत व्यय और अगले वर्ष के अनुमानों के अनुसार, इस योजना में कुल लगभग 20 हजार 159 करोड़ रुपये व्यय किया जाना सम्भावित है। आठवीं योजना के लगभग 12 हजार करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में नवीं योजना के व्यय में लगभग 68 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

17. यद्यपि वार्षिक योजना 2000–2001 चार हजार 146 करोड़ 15 लाख रुपये की बनायी गयी थी, परन्तु प्रदेश में भीषण अकाल की स्थिति को देखते हुए इसमें कुछ मध्यावधि परिवर्तन की आवश्यकताएं पड़ गयी थी। राज्य सरकार ने योजना व्यय हेतु अपनी प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण करते हुए विद्युत, पेयजल तथा अकाल राहत कार्यो पर अधिक व्यय करने का निर्णय लिया, और इस सन्दर्भ में कतिपय अन्य क्षेत्रों में स्वीकृत योजना में कुछ कमी की गयी। इसके बावजूद उपलब्ध संसाधनों के वास्तविक आकलन के आधार पर वर्ष 2000–2001 की योजना में कुछ वृद्धि की गयी, और उसका आकार 4 हजार 237 करोड़ 94 लाख रुपये निर्धारित किया गया।

18. वर्ष 2001–2002 की योजना के प्रावधानों के बारे में योजना आयोग का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है। अन्तरिम आधार पर इस योजना का आकार लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आधारभूत सुविधाओं का विकास

19. लगभग 5 दशकों के योजनाबद्ध विकास के अनुभव से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को पर्याप्त गति प्रदान करने में आधारभूत सुविधाओं की कमी एक प्रमुख समस्या है। वैश्वीकरण, उदारीकरण

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तथा निजीकरण के वर्तमान आर्थिक दर्शन के सन्दर्भ में सार्वजनिक निवेश का उपयोग आधारभूत ढांचे के विकास में करना अधिक युक्तिसंगत है। इस नीति को अपनाए जाने से निजी निवेशकों को राज्य के विकास में योगदान हेतु आकर्षित करना सम्भव होगा।

20. इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आधारभूत सुविधाओं के विकास को इस बजट में अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया है। इस सन्दर्भ में सदन को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आधारभूत सुविधाओं के विकास पर इस वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में, अगले वर्ष सड़कों पर लगभग 67 प्रतिशत, ऊर्जा में लगभग 41 प्रतिशत तथा सिंचाई पर लगभग 26 प्रतिशत अधिक व्यय का प्रावधान किया गया है।

सड़कें

21. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए राज्य को केन्द्र सरकार से इस वर्ष 140 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस राशि से 288 गांवों को जोड़ने वाली 953 किलोमीटर सड़कें डामर की सड़कों में क्रमोन्नत की जाएंगी, एवं 93 गांवों को जोड़ने के लिए 341 किलोमीटर की डामर की नयी सड़कें बनाई जाएंगी।

22. सड़कों, पुलों एवं राजमार्गों में निजी निवेशकों द्वारा बी. ओ. टी. पद्धति के अन्तर्गत 78 करोड़ 24 लाख रुपये का निवेश किया गया है। वर्तमान में 6 करोड़ 43 लाख रुपये की एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार का विचार है कि केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त होने वाली राशि का भी विभिन्न बी. ओ. टी. परियोजनाओं के साथ सामंजस्य बिठाकर लगभग 14 हजार किलोमीटर लम्बाई के राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण में उपयोग किया जाए। बी. ओ. टी. पद्धति के अन्तर्गत अगले 2 वर्षों में 450 करोड़ रुपये के निवेश प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा।

23. सड़के विकास का आइना है। माननीय सदस्यों की इस शिकायत से मैं अवगत हूं कि हमारे राज्य की अधिकांश सड़कों की स्थिति पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत आगामी 2 वर्षों में 24 हजार किलोमीटर की सड़कों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन किया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार अपने बजट से 150 करोड़ रुपये उपलब्ध करायेगी। कृषि विपणन बोर्ड 100 करोड़ रुपये का अंशदान देगा तथा शेष 350 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये जाएंगे। हम सब मिलकर यह प्रयास करेंगे कि इस योजना पर यथाशीघ्र

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अमल किया जाए। मुझे विश्वास है कि इस योजना से राज्य की सड़कों की आम स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा।

ऊर्जा

24. जब दिसम्बर, 1998 में हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, तब राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3 हजार 356 मेगावाट थी जो गत 50 वर्षों में अर्जित की गयी थी। परन्तु पिछली सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन पर कम ध्यान देने के कारण विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में 1 हजार से 1 हजार 500 मेगावाट तक का अंतर हो गया था। हमने 5 वर्ष की अवधि के दौरान इस उत्पादन क्षमता में 1 हजार 750 मेगावाट की वृद्धि की योजना बनाई है, जिसके क्रियान्वयन से गत 50 वर्षों में अर्जित क्षमता में 50 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके प्रमाण स्वरूप गत दो वर्षों में 750 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता हमने जनता को उपलब्ध भी करवा दी है, और आगामी तीन वर्षों में 1 हजार मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है। इसमें सूरतगढ़ की 750 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां व 76 मेगावाट क्षमता की रामगढ़ इकाई सम्मिलित है। इन योजनाओं पर लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

25. मैं सदन को स्मरण कराना चाहूंगा कि सूरतगढ़ के प्रथम चरण की परिकल्पना भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही अपने कार्यकाल में की थी, जिसकी कुल लागत 1 हजार 300 करोड़ रुपये आंकी गयी थी। किन्तु पिछली सरकार द्वारा इस परियोजना का पर्याप्त वित्त पोषण समय पर नहीं किये जाने के कारण यह लागत बढ़कर 2 हजार 300 करोड़ रुपये हो गयी। दूसरी ओर हमारी सरकार द्वारा प्रथम चरण की दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवीं इकाइयों के कार्य को उनके निर्धारित समय से 6 माह पूर्व ही प्रारम्भ किया जा रहा है।

26. हमारी सरकार ने उत्पादन के साथ–साथ प्रसारण व वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी समुचित ध्यान दिया है। इस हेतु विश्व बैंक से 18 करोड़ डालर अर्थात् लगभग 850 करोड़ रुपये का ऋण भी कुछ समय पूर्व स्वीकृत कराया गया है। प्रसारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य योजना मद एवं केन्द्र योजना मद से कुल 1 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आगामी तीन वर्षों में व्यय की जाएगी।

27. प्रसारण व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से पिछले 2 वर्षों में विभिन्न क्षमताओं वाले 226 नये ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इसकी तुलना में आगामी 3 वर्षों में 475 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये जाएंगे, जिनमें 400 के. वी. के 3 और 220 के. वी. के 12 सब स्टेशन शामिल हैं। इस प्रयास से जहां विद्युत की छीजत में निश्चित रूप से कमी आएगी, वहीं वोल्टेज को स्थिर रखने व आपूर्ति में वृद्धि करने में भी सहायता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मिलेगी।

28. इस प्रकार आगामी 3 वर्षों में समूचे ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश सम्भव हो सकेगा।

सिंचाई

29. वर्ष 2001–2002 में सिंचाई योजनाओं के लिए 271 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। चालू वर्ष में लगभग 21 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लक्ष्य की तुलना में आगामी वर्ष 40 हजार 500 हैक्टैयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी।

30. परम्परागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु 58 करोड़ 66 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है। आगामी वर्ष में इस योजना पर 28 करोड़ 62 लाख रुपयों का व्यय प्रस्तावित है।

31. अकाल की स्थिति को देखते हुए हमारी लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का महत्व बढ़ गया है। इस परियोजना के लिए अगले वर्ष 115 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अगले वर्ष 130 किलोमीटर लम्बी पक्की नहरों का निर्माण कर 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु खोला जा सकेगा।

32. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र में खालों के निर्माण तथा अन्य कार्यों पर आगामी वर्ष में 59 करोड़ 68 लाख रुपये व्यय करना प्रस्तावित है। फलस्वरूप 39 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित हो सकेगी।

33. चम्बल परियोजना के अन्तर्गत 76 हजार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में भूमि विकास कार्य कराये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में 2 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि विकास के कार्य प्रस्तावित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

34. सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से सरकारी तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन सम्भव है, तथा इन तकनीकों से प्रशासन को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जा सकता है। प्रदेश में सूचना का अधिकार सम्बन्धी कानून लागू किया जा चुका है। इसी क्रम में प्रदेश की जनता से सीधा सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख विभागों की कार्य प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किये जाने की एक योजना तैयार की गयी है। इन्टरनेट पर विभिन्न राजकीय विभागों की आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

35. अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में की गयी घोषणा के क्रम में एक प्रवासी राजस्थान द्वारा जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

36. छात्र–छात्राओं को प्रारम्भ से ही कम्प्यूटर में दक्ष बनाने की दृष्टि से सभी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जिला मुख्यालयों पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित कर, कक्षा 8 से 12 तक के छात्र–छात्राओं को नियमित प्रशिक्षण देने की योजना पर आगामी वर्ष में 8 करोड़ 25 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

37. इस वर्ष प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर विषय की शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। अगले शैक्षणिक सत्र से कला संकाय में भी कम्प्यूटर विषय अनिवार्य कर दिया जाएगा।

38. राजकीय व्यय में मितव्ययता की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा कुछ उपकरणों की खरीद पर समय–समय पर रोक लगाई जाती रही है। राज्य सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व घोषित सूचना प्रौद्योगिकी नीति के सन्दर्भ में मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि यह रोक कम्प्यूटर तथा उससे सम्बन्धित अन्य उपकरणों पर अब लागू नहीं होगी।

तकनीकी शिक्षा

39. औद्योगिक विकास को पूर्ण गति देने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया है। इस नीति के फलस्वरूप इस वर्ष निजी क्षेत्र में 9 इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये गये हैं। अगले वर्ष भी निजी क्षेत्र में 14 इंजीनियरिंग कालेज, 6 मैनेजमेंट संस्थान तथा 15 कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान प्रारम्भ किये जाने हेतु आशय पत्र जारी किये गये हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग से पंचायत समितियों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

40. सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते हुए अवसर को दृष्टिगत रखते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, सीकर एवं महिला इंजीनियरिंग कालेज, लक्ष्मणगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी के नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

41. माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे इन प्रयासों से हमारे प्रदेश के बहुमुखी विकास को समुचित सम्बल प्राप्त होगा।

उद्योग

42. उदारीकरण एवं निजीकरण के माहौल में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार की भूमिका में बदलाव आवश्यक हो गया है। उद्यमी अब राज्य सरकार से केवल एक उत्प्रेरक अथवा अग्रदूत की भूमिका की उम्मीद रखता है। इस पृष्ठभूमि में राज्य की औद्योगिक वित्त सम्बन्धी संस्थाओं के नियमों और कार्यप्रणाली में आवश्यक बदलाव किया गया है। मनोरंजन, तकनीकी शिक्षा, संचार एवं सेवा क्षेत्रों के लिए भी इन संस्थाओं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

43. सितम्बर, 2000 में आयोजित राजस्थानी सम्मेलन के दौरान मानीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की थी। इस फाउंडेशन का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों में उनकी जन्मभूमि से जुड़े रहने की भावना जाग्रत करना और उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाना है। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वयं मुख्य मंत्रीजी होंगे और प्रवासी राजस्थानियों को इसमें समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस फाउंडेशन में राज्य सरकार का अंशदान 2 करोड़ रुपये होगा। प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं से परिचित कराने में यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा।

कृषि

44. कृषि सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिए आगामी वर्ष में कुल 420 करोड़ 35 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2001–2002 में 200 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ एवं रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। हम आशा करते हैं कि आगामी वर्ष अन्य फसलों के अलावा 125 लाख टन खाद्यान्न तथा 40 लाख टन तिलहन का उत्पादन कर सकेंगे। किसानों को आगामी वर्ष में लगभग 6 लाख क्विंटल प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है जो इस वर्ष से 34 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में 9 लाख टन रासायनिक खाद उपलब्ध कराई जाएगी।

45. राज्य में आगामी वर्ष में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत के जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण कार्य क्रियान्वित किये जाएंगे।

ग्रामीण विकास

46. रोजगार सृजन, ग्रामीण आवास निर्माण, जल–ग्रहण हेतु एनीकट निर्माण, बी. पी. एल. परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने आदि योजनाओं पर आगामी वर्ष में लगभग 535 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

47. आगामी वर्ष में सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजनान्तर्गत 1 करोड़ से अधिक मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया जाएगा।

48. विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना (DPIP) का शुभारम्भ 25 जुलाई, 2000 को किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 643 करोड़ रुपये है। यह परियोजना राज्य के सात जिलों बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द व टौंक में गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस परियोजना की कुल अवधि 5 वर्ष है। प्रथम वर्ष में इस परियोजना को 14 विकास खण्डों के 491 गांवों में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रारम्भ किया जाकर 3 हजार लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्ष इस योजना में 40 करोड़ रुपयों का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

49. मेवात क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अलवर जिले की 8 एवं भरतपुर जिले की 3 पंचायत समितियों में पिछले कुछ वर्षों से मेवात क्षेत्रीय विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत इस इलाके में सम्पर्क सड़क निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल व पशुपालन इत्यादि के कार्य किये जा रहे हैं। अगले वर्ष में इस हेतु 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। मैं इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित करता हूं।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

50. आगामी वर्ष प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर 3 हजार 252 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

51. वर्ष 2003 तक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन" का गठन किया गया है। मिशन के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं को समन्वित किया गया है। लोक भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से मिशन के अन्तर्गत पंचायती राज प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में जिला, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता समितियां बनायी गयी हैं।

52. इस शिक्षण सत्र से राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं को शिक्षण शुल्क के साथ–साथ समस्त राजकीय शुल्कों से मुक्त कर दिया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा एक से आठ तक की छात्राओं को छात्रा निधि शुल्क से भी पूर्ण छूट प्रदान की गयी है।

53. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में भवन निर्माण पर आगामी वर्ष 10 करोड़ 22 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। भवन रहित शालाओं के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए भवन रहित बालिका विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

54. दूर–दराज के क्षेत्रों में शिक्षा के समुचित प्रसार की दृष्टि से राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं स्थापित करके राज्य सरकार ने जिस अभिनव प्रयोग का प्रारम्भ किया है उसकी सर्वत्र प्रशंसा की गयी है। सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में इस प्रयास को जारी रखते हुए मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि आगामी वर्ष में 3 हजार नवीन राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पाठशालाएं ऐसी शहरी कच्ची बस्तियों में प्रारम्भ की जाएंगी जहां प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इन पाठशालाओं के लिए 4 करोड़ 32 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

55. अगले वर्ष राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के समकक्ष 500 मदरसों को भी प्रारम्भ किया जाएगा, जिसके लिए 72 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

56.राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 400 रुपये प्रति पाठशाला प्रति वर्ष की दर से 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

57. पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने 11 हजार नयी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को प्रारम्भ करने की घोषणा की थी, परन्तु न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण इस घोषणा की क्रियान्विति सम्भव नहीं हो सकी। आगामी वर्ष में इन पाठशालाओं के लिए 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

पर्यटन कला एवं संस्कृति

58. राज्य सरकार पर्यटन उद्योग के विकास को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है। राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की पहचान पहले ही कायम हो चुकी है।

59. पर्यटन विकास को और गति देने के लिए अगले वर्ष 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। इस राशि का आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न पर्यटक स्थलों के प्रचार एवं प्रसार के लिए उपयोग किया जाएगा।

60. राज्य के समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए 10 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी है। आगामी वर्ष इस योजना पर 2 करोड़ 12 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

61. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अगले वर्ष 1 हजार 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

62. आगामी वर्ष में राज्य के 10 जिला चिकित्सालयों में क्षेत्रीय रोग निदान केन्द्रों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण हेतु 7 करोड़ 61 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

63. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित मुख्य मंत्री जीवन् रक्षा कोष में अगले वर्ष 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

पेयजल

64. प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के लिए

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आगामी वर्ष में कुल 1 हजार 243 करोड़ रुपयों का प्रावधान है।

65. लगातार कम वर्षा होने के कारण अधिकतर पेयजल योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारा यह प्रयास है कि सभी प्रदेशवासियों को इस ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या का यथासम्भव सामना नहीं करना पड़े। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हैण्ड पम्पों एवं नलकूपों का निर्माण किया जाएगा।

66. राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से जोधपुर शहर और इस ज़िले के 729 गांवों में समुचित जलापूर्ति के लिए 149 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है।

67. राज्य के विभिन्न इलाकों में फ्लोराइड व खारे पानी की बढ़ती समस्या से माननीय सदस्य परिचित हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई इलाकों में फ्लोराइड रहित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की समय–समय पर व्यवस्था की गयी है। इस क्रम में फ्लोराइड एवं खारे पानी की समस्या से प्रभावित लगभग 3 हजार गांवों के लिए 533 करोड़ रुपये की योजनाएं राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी है।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास

68. वर्तमान नियमों के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा शहरी जमाबन्दी के तहत वसूल की गयी राशि में से केवल 10 प्रतिशत राशि अपने उपयोग हेतु रखने का प्रावधान है। संस्थाओं को इस राशि की बेहतर वसूली हेतु प्रेरित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शहरी जमाबन्दी से प्राप्त कुल आय का 40 प्रतिशत भाग सम्बन्धित संस्था की आय मानी जाएगी।

69. राज्य के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए "अपना घर" योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अनुसार कच्ची बस्ती में रहने वाले बी. पी. एल. परिवारों, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों, विकलांगों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों इत्यादि के लिए बैंकों से ऋण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार इन आवास गृहों के लिए 10 हजार रुपये प्रति इकाई की दर से अनुदान भी देगी।

70. राज्य की अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु आगामी 3 वर्षों में करीब 37 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से अगले वर्ष लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

71. आगामी वर्ष में कच्ची बस्तियों में सड़कों व नालियों के निर्माण, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, आवास गृहों व सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों पर लगभग 38 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

समाज कल्याण

72. पिछले दो वर्षों में निःशक्तों, निराश्रित विधवाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों तथा बी. पी. एल. परिवारों के सदस्यों के हितार्थ अनेक सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त मासिक पेंशन की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है। साथ ही विशेष अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गयी है। वर्ष 1998–99 में इस प्रयोजनार्थ लगभग 32 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2000–2001 में इस हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, एवं इसी अवधि में लाभान्वितों की संख्या 3 लाख 84 हजार से बढ़कर 7 लाख 73 हजार हो गयी है। अगले वर्ष इस मद में 196 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

73. निःशक्त बालक–बालिकाओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक स्वयं सेवी संस्थाएं सराहनीय कार्य कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं की उल्लेखनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष इनके अनुदान में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्ष 2001–2002 में इस प्रयोजनार्थ 70 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

74. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं की पुत्रियों के विवाह में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2001–2002 में 50 लाख रुपयों का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

75. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनाथ तथा उपेक्षित बालकों एवं बालिकाओं के लिए संचालित गृहों में वर्तमान में 470 बालक–बालिकाओं के रहने की व्यवस्था है। इन बालक–बालिकाओं को राजीव गांधी पाठशाला के पैटर्न पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अगले वर्ष 5 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

76. मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बनाए गए कियोस्कों में से 10 प्रतिशत कियोस्क निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह योजना निःशक्त युवाओं को स्वावलम्बी बनाने में प्रभावी सिद्ध हुई है। अतः इसी क्रम में वर्ष 2001–2002 में 2 हजार 500 निःशक्त व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले वर्ष की योजना में इस हेतु 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इस प्रावधान को बढ़ाकर 80 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूं।

77. आगामी वर्ष में मूक–बधिर एवं अंध विद्यालयों को देय अनुदान में 25 लाख रुपये की वृद्धि की जाएगी।

78. भगवान महावीर की छब्बीस सौवीं जयन्ती के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष में 'पोलियो करेक्शन चिकित्सा' को एक अभियान के रूप में संचालित करने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

का निश्चय किया गया है। राज्य के दूर–दराज क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा कर पोलियोग्रस्त व्यक्तियों की जांच की जाएगी, तथा राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु आगामी वर्ष में 7 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

79. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों की उच्च शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं से यह सदन परिचित है। इन परिवारों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु अपने परिवार से दूर रहने की स्थिति में सुरक्षित आवास की समस्या रहती है। अतः राज्य सरकार ने ऐसी छात्राओं को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक सम्भागीय मुख्यालय पर एक–एक छात्रावास का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2001–2002 में 4 करोड़ 50 लाख रुपयों का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

80. अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावासों में रह रही छात्राओं को वर्तमान में सरकार की तरफ से प्रति वर्ष केवल एक स्कूल ड्रेस उपलब्ध करायी जा रही है। आगामी वर्ष में ऐसी 2 हजार छात्राओं को एक और स्कूल ड्रेस देने के लिए समुचित राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

81. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में फिलहाल लगभग 21 हजार छात्र–छात्राओं को प्रवेश मिला हुआ है। सरकार ने निर्णय किया है कि आगामी वर्ष में 5 हजार अतिरिक्त छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने की व्यवस्था की जाए। अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश देने के फलस्वरूप आगामी वर्ष में लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में बर्तन, बिस्तर व अन्य सामान की व्यवस्था के लिए वर्तमान प्रावधान में 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि करने की मैं घोषणा करता हूं।

82. वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 388 गरीब तथा प्रतिभावान छात्र–छात्राओं का प्रति वर्ष चयन कर उनको निजी विद्यालयों में शिक्षा दिलाने का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं, तथा हम इस व्यवस्था को और बढ़ाना चाहते हैं। अतः वर्ममान संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाकर 800 कर दिया जाएगा। इस हेतु अगले वर्ष लगभग 82 लाख रुपयों का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा।

83. कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के 13 ज़िला मुख्यालयों पर 4 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से विभिन्न चरणों में छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। आगामी वर्ष में इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

84. सामाजिक रूप से उत्पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर में महिला सदनों का निर्माण करवाया जाएगा। इन सदनों में आवास सुविधा के साथ ही इन महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस निर्माण कार्य पर कुल 11 करोड़ 89 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे। आगामी वर्ष इसके लिए 4 करोड़ 29 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

85. राज्य में 10 स्थानों पर महिलाओं के अल्प ठहराव आवास गृहों का निर्माण कराया जाएगा ज़िसके लिए आगामी वर्ष 52 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

86. अपराधी बालकों के लिए संभागीय मुख्यालयों पर 1 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से सुरक्षा गृहों का निर्माण किया जाएगा। आगामी वर्ष इसके लिए 21 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

87. मस्तिष्क रोगों से पीड़ित, तथा विमंदित बच्चों के लिए सरकार संभागीय मुख्यालयों पर एक–एक स्कूल खोलना चाहती है। इन स्कूलों का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए 10 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

88. वर्तमान में 20 जिलों में वृद्धों के लिए 32 डे–केयर सेंटर चलाये जा रहे हैं। शेष 12 जिलों में भी ऐसे सेंटर प्रारम्भ किये जाने के लिए अगले वर्ष 20 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

89. महिलाओं के लिए डे–केयर सेंटर इस समय केवल जयपुर में चल रहा है। पांच अन्य सम्भागीय मुख्यालयों पर आगामी वर्ष में एक–एक सेंटर और प्रारम्भ किया जाएगा, इस हेतु कुल 7 लाख 50 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास

90. राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत 32 हजार 790 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। आगामी वर्ष के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में 13 लाख से अधिक गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 16 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने की योजना है।

91. वर्ष 2001–2002 के लिए पोषाहार राज्य योजना में 10 करोड़ रुपये, केन्द्र प्रवर्तित योजना में 58 करोड़ 24 लाख रुपये, तथा विश्व बैंक पोषाहार परियोजना के अन्तर्गत 58 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष के दौरान विश्व बैंक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

परियोजना के माध्यम से संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर फर्नीचर, उपकरण, बर्तन एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवायी जाएगी।

92. राज्य सरकार सामूहिक विवाहों के आयोजन को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में ऐसे आयोजन प्रभावी हैं। अतः आगामी वर्ष इस हेतु रखे गए 10 लाख रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की मैं घोषणा करता हूं।

93. महिला सशक्तीकरण वर्ष के उपलक्ष्य में संकटग्रस्त महिलाओं को आवश्यक सहायता देने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के जिला कलक्टर को 50 हजार रुपये की राशि आगामी वर्ष में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 16 लाख रुपयों का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

94. राज्य में जनजाति कृषकों के लिए सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु आगामी वर्ष लगभग 1 हजार 550 कृषि कुओं को गहरा कराने हेतु 94 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही 300 डीजल/विद्युत पम्प सैटों हेतु 30 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 16 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का, 1 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत से, निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 26 एनीकट निर्मित किये जाने का लक्ष्य है जिस पर 1 करोड़ 57 लाख रुपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

95. आगामी वर्ष 30 जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण करने के लिए 75 लाख रुपये तथा 200 कुओं के ऊर्जीकरण हेतु 20 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम के माध्यम से 3 हजार 500 जनजाति के युवक/युवतियों को 3 करोड़ 50 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

न्याय एवं कानून व्यवस्था

96. वर्ष 2000–2001 में राज्य में विभिन्न स्तर के 30 नये न्यायालयों की स्थापना की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष में भी 30 नये न्यायालयों का सृजित किया जाना प्रस्तावित है। न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

97. अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनुसंधान का महत्व बहुत अधिक है। अतः 30 चल विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, ताकि अपराध के स्थान पर ही

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आवश्यक जांच पड़ताल शीघ्र करवाई जा सके। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रयोगशालाओं हेतु भी नवीन उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस हेतु शस्त्रों एवं विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकतानुसार खरीद की जाएगी ताकि पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। पुलिस स्टेशनों के भवन निर्माण एवं महिला पुलिस कर्मियों हेतु विश्राम कक्षों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों हेतु आगामी वर्ष 25 करोड़ रुपयों का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

98. जेलों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार इत्यादि कार्यों पर आगामी वर्ष में 3 करोड़ 60 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

संशोधित अनुमान 2000-2001

99. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय 3 हजार 346 करोड़ 70 लाख रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार यह घाटा कम होकर 2 हजार 610 करोड़ 26 लाख रुपये रहना सम्भावित है। इसी प्रकार 5 हजार 359 करोड़ 62 लाख रुपये का अनुमानित राजकोषीय घाटा, संशोधित अनुमानों के अनुसार घटकर अब 4 हजार 797 करोड़ 25 लाख रुपये हो जाना सम्भावित है। परिणामस्वरूप यह राजकोषीय घाटा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 6.77 प्रतिशत होना अनुमानित था, संशोधित अनुमानों के अनुसार 6.06 प्रतिशत रहेगा। आगामी वर्ष की समाप्ति तक हम इसमें और कमी लाने का प्रयास करेंगे।

बजट अनुमान 2001-2002

100. वर्ष 2001–2002 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

1.	राजस्व प्राप्तियां	13 हजार 189 करोड़ 12 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	16 हजार 234 करोड़ 11 लाख रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा	3 हजार 44 करोड़ 99 लाख रुपये
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियां सहित)	10 हजार 88 करोड़ 48 लाख रुपये
5.	पूंजीगत व्यय	7 हजार 327 करोड़ 19 लाख रुपये
6.	पूंजीगत खाते में अधिशेष	2 हजार 761 करोड़ 29 लाख रुपये
7.	कुल बजट घाटा	283 करोड़ 70 लाख रुपये

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

101. जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है दूसरे राज्य वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट 31 अगस्त, 2001 तक अपेक्षित है। इस रिपोर्ट के आधार पर इन प्रावधानों में तद्नुसार संशोधन होगा।

102. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

भाग-2

103. कर नीति के अन्तर्गत हमारा यह प्रयास रहता है कि राजस्व अर्जन के साथ–साथ इसका राज्य के उद्योग व व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इस बात पर भी विशेष बल दिया जाता है कि करारोपण प्रक्रिया का यथासंभव सरलीकरण हो तथा कर प्रशासन में पारदर्शिता आए। हम चाहते हैं कि इस नीति के माध्यम से राज्य में औद्योगीकरण हेतु अनुकूल वातावरण बने तथा व्यापार में वृद्धि हो ताकि राजस्व वृद्धि के साथ–साथ प्रदेश की आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित हो सके।

104. पिछले वर्ष के दौरान राज्यों की आम सहमति के आधार पर करारोपण प्रक्रिया से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। 210 वस्तुओं के सम्बन्ध में फ्लोर रेट व्यवस्था लागू की गयी है। बिक्री कर प्रोत्साहन देने के बारे में राज्यों की आपसी होड़ पर भी अंकुश लगा है। इसके बावजूद कतिपय वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापार के पलायन की शिकायतें हमें बराबर प्राप्त होती रहती हैं। इससे लगता है कि कुछ राज्यों ने फ्लोर रेट व्यवस्था को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया है। हम राष्ट्रीय स्तर पर हुई आम सहमति का तो सम्मान करते हैं परन्तु यदि अन्य राज्यों ने किसी वस्तु के सम्बन्ध में इस फ्लोर रेट व्यवस्था का उल्लंघन किया तो हमें भी अपने राज्य से व्यापार के पलायन को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे।

105. ई–गवर्नेन्स तथा ई–कॉमर्स के इस युग में करारोपण तथा कर वसूली की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके पूर्ण होने पर राज्य के राजस्व में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही व्यवहारियों को विभिन्न घोषणा–पत्रों की औपचारिकताओं से छुटकारा भी मिल सकेगा। पंजीयन व मुद्रांक विभाग तथा परिवहन विभाग का भी कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इन प्रयासों से करदाता तथा कर वसूली अधिकारी के बीच आपसी संपर्क कम रह जाएगा और साथ ही करापवंचन को रोकने में मदद भी मिलेगी।

106. लगातार तीन वर्ष तक सूखे से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त राजस्व जुटाना आवश्यक है। इस हेतु मेरे प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :

(i) अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मुद्रांक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

शुल्क की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) टर्न ओवर टैक्स, एंट्री टैक्स, तथा सेल्स टैक्स से संबंधित कतिपय प्रशमन योजनाओं के अन्तर्गत देय शुल्क में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) अरण्डी, ईसबगोल तथा जिन्क ऑक्साइड पर 2 प्रतिशत तथा अग्निशमन यंत्रों पर 4 प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(iv) फ्लोर रेट व्यवस्था के अन्तर्गत चाय पर फ्लोर रेट 8 प्रतिशत तय की गयी है। अतः चाय पर वर्तमान में देय बिक्री कर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(v) औषधियों से संबंधित विभिन्न प्रविष्टियों पर 8 प्रतिशत की दर से बिक्री कर देय है। समरूपता के लिए डिस्पोजेबल सिरिंज तथा एक्सरे फिल्म्स पर बिक्री कर की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(vi) लिखने के काम में आने वाले महंगे फाउंटेन पैन इत्यादि पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाना प्रस्तावित है।

(vii) कपड़े धोने के साबुन पर बिक्री कर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है परन्तु कपड़े धोने के हस्तनिर्मित साबुन पर बिक्री कर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(viii) घरेलू क्षेत्र में पानी के दुरुपयोग को रोकने हेतु एक हॉर्स पावर तक के वाटर पम्प पर 8 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया जाना प्रस्तावित है। कृषकों के हित में 1 से 10 हॉर्स पावर तक के वाटर पम्प को कर मुक्त रखा जाएगा। वाटर पम्प के पार्ट्स व एक्सेसरीज की बिक्री कर दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(ix) वर्क्स टैक्स में स्रोत पर कटौती तथा इसे संबंधित एग्जेम्पशन फी (Exemption Fee) योजनाओं में कतिपय संशोधन किये जा रहे हैं जिनसे करापवंचन रोकने में मदद मिलेगी।

(x) आइल कम्पनियों द्वारा टर्न ओवर टैक्स का सुसंगतिकरण किया जा रहा है ताकि टर्न ओवर टैक्स को कम्पनी के स्तर पर ही एक–मुश्त वसूला जा सके। साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि पैट्रोल पर बिक्री कर की दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाये।

(xi) हलफनामों तथा नोटेरी टिकट पर देय मुद्रांक शुल्क को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

(xii) सिगरेट व सिगार आदि पर विलासिता कर (Luxury Tax) की दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

107. इन प्रस्तावों से लगभग 82 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

108. अब मैं करारोपण प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

109. गत वर्ष से यह व्यवस्था की गयी है कि अपीलेट अथोरिटी अधिकतम छह माह के लिए स्थगन आदेश जारी कर सकेंगे। यह प्रस्तावित है कि अब अपीलेट अथोरिटी आवश्यक होने पर स्थगन की छह माह की अवधि पूर्ण होने के बाद स्थगन आदेश को तीन माह की अवधि के लिए बढ़ा सकेंगे।

110. यह व्यवस्था भी की गयी थी कि अपील के साथ डिमाण्ड की 15 प्रतिशत राशि जमा करवानी आवश्यक होगी। अब इस राशि को घटाकर 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। एक्सपार्टी फैसलों की अपील से संबंधित प्रकरणों में केवल 5 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी।

111. एक्सपार्टी प्रकरणों को खोलने पर लगाई गयी रोक को आंशिक रूप से हटाते हुए यह प्रस्तावित है कि यदि समुचित आधार उपलब्ध हों तो उपायुक्त (प्रशासन) इन प्रकरणों को खोल कर उन पर न्यायोचित निर्णय ले सकेंगे।

112. घोषणा–पत्रों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को तीन माह से बढ़ाकर चार माह किया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग को यह निर्देश भी दिये जा रहे हैं कि व्यवहारियों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर किया जाये।

113. पिछले कुछ वर्षों से कतिपय वस्तुओं के संदर्भ में बिक्री कर में रियायतें निर्धारित समयावधि के लिए दी जाती रही है। गत बजट में ऐसी कुछ रियायतों की अवधि को 31 मार्च, 2001 तक के लिए बढ़ाया गया था। इन रियायतों की समय सीमा अब 31 मार्च, 2002 तक के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

114. स्टेनलेस स्टील बर्तनों का निर्माण हमारे राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अतः स्टेनलेस स्टील आधारित इकाइयों को देय रियायतों की समय सीमा में वृद्धि की जा रही है।

115. रंगाई–छपाई उद्योग के महत्व को देखते हुए डाईज व डाईस्टफ आदि पर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने पर बिक्री कर की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों का नारेबाजी के साथ, हाथ में कुछ कागज लहराते हुए प्रवेश) (सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 116. राज्य से व्यापार के पलायन को रोकने की दृष्टि से निम्नांकित वस्तुओं की कर दरों को घटाया जाना प्रस्तावित है :

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। श्री मदन दिलावर।

श्री प्रद्युम्न सिंह :

सभी प्रकार के टाइपराइटर	12 प्रतिशत से 4 प्रतिशत
सभी प्रकार के टेलीफोन	12 प्रतिशत से 4 प्रतिशत
ऑप्टिकल फाइबर केबल	10 प्रतिशत से 4 प्रतिशत
कैलकुलेटर तथा कैलकुलेटिंग मशीन	12 प्रतिशत से 4 प्रतिशत
वॉयरलैस उपकरण	12 प्रतिशत से 4 प्रतिशत
गुड़	6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत

(सदन कूप में नारेबाजी)

117. व्यापार के पलायन को रोकने के क्रम में किराना वस्तुएं तथा सुपारी आदि पर बिक्री कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत तथा मिर्च, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, हल्दी आदि पर बिक्री कर की दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। (व्यवधान) देखेंगे। आप प्रिविलेज लाइये। (व्यवधान) आप प्रिविलेज लाइये। क्या कर रहे हैं आप ? अगर आउट हो गया तो आप प्रिविलेज लाइये।

(सदन कूप में नारेबाजी)

118. पी. यू. फोम तथा पी. ई. फोम को एक श्रेणी में रख कर इन पर बिक्री कर की दर को 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। मदन दिलावर।

(सदन कूप में नारेबाजी)

श्री प्रद्युम्न सिंह :** 119. डी. एम. टी. (Di Methyl Trephthaltate) व एम. ई. जी. (Mono Ethylene Glycol) तथा पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग के सम्बन्ध में तथा पी. आई. जे. एफ. केबल/ऑप्टिकल फाइबर केबल और टायर ट्यूब की अन्तरराज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में कतिपय अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। (व्यवधान)

(सदन कूप में नारेबाजी)

120. श्वेत श्याम पिक्चर ट्यूब के सम्बन्ध में एक नयी प्रशमन योजना जारी की जा रही है।

**सदन में व्यवधान की स्थिति में माननीय अध्यक्ष के आदेश दिनांक 30-3-2001 के अनुसार पैरा संख्या–119 से 148 तक पढ़े हुए माने गये।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

121. निम्नांकित वस्तुओं को पूर्णतः कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है :

ट्राइटेनरिक्स एच. बी. वैक्सीन

रद्दी कागज तथा टूटी व खाली बोतलें

कैलशियम टेबलेट

निःशक्तजनों के काम में आने वाले उपकरण

122. बच्चों के नॉन–इलैक्ट्रोनिक खिलौनों को पूर्णतः कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इलैक्ट्रोनिक खिलौनों पर फ्लोर रेट के अनुसार कर देय होगा।

123. हस्तनिर्मित वाद्य यंत्रों को पूर्णतः कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

124. 100 रुपये तक के मूल्य के जूते चप्पलों को पूर्णतः कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(सदन कूप में नारेबाजी)

125. तिलहनों के निर्यात के बारे में प्रपत्र–17 बी के प्रयोग के बारे में तकनीकी कारणों से उत्पन्न भ्रान्तियों को दृष्टिगत रखते हुए एक स्पष्टीकारक अधिसूचना जारी की जा रही है। इस सम्बन्ध में दिनांक 29 मार्च, 2001 तक की कर देयता को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

126. पंजीकृत व्यवहारी से संगमरमर के ब्लॉक्स कच्चे माल के रूप में खरीद कर स्लैब का निर्माण करने वाले विनिर्मिताओं के लिए प्रपत्र–17 की अनिवार्यता को प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष के लिए समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

127. पैकिंग मैटीरियल की परिभाषा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके।

128. सरलीकरण के क्रम में प्रपत्र ST–6, ST–21 तथा ST–22 को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

129. यह भी प्रस्तावित है कि राजस्थान कर बोर्ड की एकल बैंच दो लाख रुपये तक के स्थान पर अब पांच लाख रुपये तक के प्रकरणों पर सुनवाई कर सकेगी।

130. विभिन्न संगठनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान कराधान अधिकरण की पुनर्स्थापना हेतु विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

131. आर्थिक मन्दी के इस दौर में कई औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हो चुकी हैं तथा कई अन्य इकाइयों के रुग्ण होने का अंदेशा है। यदि ऐसी इकाइयां बन्द हो गयीं तो अनेकों श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह प्रस्तावित है कि आयुक्त वाणिज्य कर को यह अधिकार प्रदान किया जाये कि वे समुचित आधार उपलब्ध होने की स्थिति में राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित इकाइयों पर बकाया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कर की वसूली को तीन वर्ष तक के लिए आस्थगित कर सकेंगे और तत्पश्चात् पांच वर्षों में आसान किस्तों के जरिये बकाया राशि को वसूल कर सकेंगे।

मनोरंजन कर

132. छविगृहों के लिए लागू यूटिलिटी फी स्कीम (Utility Fee Scheme) की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

133. नये होटलों तथा पर्यटन आधारित इकाइयों को मुद्रांक शुल्क तथा भूमि व भवन कर में देय रियायतें 31 दिसम्बर, 2002 तक प्रारम्भ होने वाले नये मल्टीप्लैक्स छविगृहों को भी देय होगी बशर्ते कि ऐसे मल्टीप्लैक्स छविगृहों में निर्धारित अवधि तक कम से कम एक करोड़ रुपये का निवेश हो।

मुद्रांक शुल्क

134. स्वरोजगार हेतु ऋण लेने पर मुद्रांक शुल्क में छूट की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाना, तथा महिला उद्यमियों द्वारा स्वरोजगार हेतु ऋण लेने पर मुद्रांक शुल्क में छूट की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

(सदन कूप में नारेबाजी)

135. खनन से सम्बन्धित लीज डीड आदि पर मुद्रांक कर की देयता हेतु मूल्यांकन में आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए खनन लीज के नवीनीकरण तथा हस्तान्तरण पर देय मुद्रांक शुल्क की गणना वार्षिक किराया, प्रतिभूति, हस्तान्तरण शुल्क, विकास कार्य तथा अन्य विविध व्यय के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

136. बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋणों से संबंधित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। ऋणों से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों पर यह ड्यूटी देय होगी।

137. राज्य में स्थापित होने वाली नयी होटल इकाइयों जिनमें एक करोड़ रुपये या अधिक का निवेश हो को दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रारम्भ होने की शर्त पर मुद्रांक शुल्क, विलासिता कर तथा भूमि व भवन कर के सम्बन्ध में रियायतें उपलब्ध है। इस समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2002 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यह सुविधा पर्यटन विभाग के प्रमाणीकरण के आधार पर बोर्डिंग–लौजिंग इकाइयों, सफारी पार्क, होलीडे रिसोर्ट, अम्यूजमेन्ट पार्क, कैम्पिंग साइट, रोप–वे तथा मोटेल को भी दिया जाना प्रस्तावित है।

138. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु यह प्रस्तावित है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एम्पावर्ड कमेटी की अनुशंसा के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को मुद्रांक शुल्क तथा भूमि व भवन कर से छूट प्रदान की जाये, बशर्ते कि ऐसी इकाइयां 31 मार्च, 2002 से पूर्व संबंधित सम्पत्ति का क्रय करें तथा 31 मार्च, 2003 से पूर्व कार्य प्रारम्भ कर दें।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मोटर वाहन कर

139. मोटर वाहन कर अधिनियम में करारोपण प्रक्रिया के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन वित्त विधेयक में प्रस्तावित किये जा रहे हैं। इन संशोधनों से करापवंचन की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा।

140. ट्रैक्टर ट्रौली पर लागू मोटर वाहन पंजीयन कर समाप्त किया जा रहा है।

भूमि व भवन कर

141. पिछले बजट में भूमि व भवन कर की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया था। उसी क्रम में कुछ अन्य प्रक्रियात्मक सुधार किये जा रहे हैं।

142. मूल्यांकन–चक्र (Valuation-Cycle) बदलने पर सम्पत्ति के हस्तान्तरण के प्रकरणों में करदेयता के बारे में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु यह प्रस्तावित है कि सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर क्रेता की करदेयता विक्रेता की करदेयता से अधिक नहीं होगी।

143. भूमि व भवन कर से संबंधित प्रकरणों में अपील दायर करने के लिए वर्तमान में कर की 100 प्रतिशत राशि जमा करवाना आवश्यक है। करदाताओं की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए इस राशि को 50 प्रतिशत या 10 लाख रुपये जो भी कम हो, किया जाना प्रस्तावित है।

(सदन कूप में नारेबाजी)

144. भूमि एवं भवन कर के करारोपण से सम्बन्धित विभिन्न स्लैब्स के अन्तर्गत करदेयता में कमी किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पुरानी करदेयता के बारे में एक सरलीकृत एमनेस्टी योजना लागू की जा रही है।

145. नयी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि व भवन कर में छूट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तथा पुरानी औद्योगिक इकाइयों के लिए छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है। 31 मार्च, 2003 तक स्थापित होने वाली नयी औद्योगिक इकाइयों को पांच वर्ष की अवधि के लिए भूमि व भवन कर से पूर्ण छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

146. बिक्री कर, मुद्रांक कर तथा भूमि एवं भवन कर में दी जाने वाली इन विभिन्न रियायतों से लगभग 10 करोड़ रुपये की राजस्व हानि संभावित है।

147. वर्ष 2001–2002 के बजट अनुमानों में 283 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट घाटा अनुमानित किया गया है। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि वर्तमान में केन्द्र सहित सभी प्रदेश कठिन वित्तीय परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और राजस्थान उसमें कोई अपवाद नहीं है। वित्तीय अनुशासन में रहते हुए विकास कार्यों को जारी रखा जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कर प्रस्तावों से कुल 72 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास किया गया है, जो कि आगामी वर्ष के बजट घाटे को कम करने में सहायक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

होगा। इसके बावजूद जो घाटा रहेगा उसे बेहतर कर वसूली, समुचित वित्तीय प्रबन्धन और मितव्ययता बरतने से पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा।

148. मैं वर्ष 2001–2002 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूंकि सदन के पास वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व बजट अनुमानों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है, अतः मैं वित्तीय वर्ष 2001–2002 के पहले चार महीनों की अवधि के लिए, अर्थात् 31 जुलाई, 2001 तक के लिए, व्यय हेतु लेखानुदान की मांग कर रहा हूं।**

(सदन कूप में नारेबाजी)

149. इन बजट प्रस्तावों को व लेखानुदान के प्रस्ताव को मैं इस आशा व विश्वास के साथ माननीय सदन में विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं कि इनको माननीय सदन का पूर्ण समर्थन एवं अनुमोदन प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2001–2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

लेखानुदान सम्बन्धी विवरण 2001-2002

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2001–2002 के लिए लेखानुदान (वोट ऑन अकाउन्ट) सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2001

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य, विधायी कार्य। (व्यवधान) सीट पर बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान) बजट पेश हो रहा है यह ... (व्यवधान) अभी तक कितने घपले हैं ? इन्होंने सरियों पर कम्पोजिट सेल्स टैक्स लगाया उसमें +++ (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : +++ (नारेबाजी) +++ (व्यवधान) देश की जनता के साथ धोखा किया है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं

** सदन में व्यवधान की स्थिति में माननीय अध्यक्ष के आदेश दिनांक 30-3-2001 के अनुसार पैरा संख्या–119 से 148 तक पढ़े हुए माने गये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 2001

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.10 बजे शुक्रवार, 30 मार्च, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)